



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्र. २४ / अका. / वि.प. / बैठक / 2021,

बिलासपुर, दिनांक २८ / ०६ / २०२१

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद की 35 वीं आपात बैठक माननीय कुलपति महोदय जी की अध्यक्षता में दिनांक 26/06/2021, दिन शनिवार अपराह्न 03:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय 'सिरपुर प्रशासनिक भवन' में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।
बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही :-

- | | |
|---|-----------|
| 1. डॉ. बंश गोपाल सिंह
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर | - अध्यक्ष |
| 2. प्रो. एल.पी. पटेरिया, (विडियो कॉन्फ्रैंसिंग द्वारा उपस्थिति)
माननीय कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट) | - सदस्य |
| 3. प्रो. आर.पी. दास
सम कुलपति
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
(कुलपति इग्नू द्वारा नामांकित) | - सदस्य |
| 4. डॉ. राजलक्ष्मी सेलट(विडियो कॉन्फ्रैंसिंग द्वारा उपस्थिति)
आयुक्त के नामिनी
उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर (छ.ग.) | - सदस्य |
| 5. प्रो. मनीष श्रीवास्तव, (विडियो कॉन्फ्रैंसिंग द्वारा उपस्थिति)
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा नामांकित) | - सदस्य |
| 6. प्रो. मीता झा, (विडियो कॉन्फ्रैंसिंग द्वारा उपस्थिति)
पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा नामांकित) | - सदस्य |
| 7. डॉ. अनिता सिंह,
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, शिक्षा विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - सदस्य |
| 8. श्री संजीव कुमार लवानिया (विडियो कॉन्फ्रैंसिंग द्वारा उपस्थिति)
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, समाजशास्त्र
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - सदस्य |

12/6/2021

४

9. डॉ. एस. रूपेन्द्र राव (विडियो कान्फ्रैंसिंग द्वारा उपस्थिति)
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोविज्ञान विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर — सदस्य
10. श्री रेशमलाल प्रधान (विडियो कान्फ्रैंसिंग द्वारा उपस्थिति)
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल कम्प्यूटर साइंस
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर — सदस्य
11. डॉ. इंदु अनंत
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर — सचिव

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –

1. संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
रायपुर (छ.ग.) — सदस्य
- अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सचिव के द्वारा
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु रख कर निर्णय लिया गया –
- प्रस्ताव क्र. 01— विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 34 वीं बैठक का विवरण का अनुमोदन एवम्
पालन प्रतिवेदन पर विचार।
- निर्णय – अनुमोदित किया गया।
- प्रस्ताव क्र. 02— विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 1 में संशोधन भाग G: शिक्षक/गैर शिक्षक अधिकारियों की योग्यता को जोड़ने हेतु सुझाव पर विचार।
- निर्णय – शिक्षकीय पदों हेतु मैनेजमेन्ट जोड़ा जाए के साथ मान्य किया गया। योग्यता का विस्तृत वर्णन न करके “Eligibility will be as per UGC Regulation enforced from time to time” लिखा जाए और अशैक्षणिक पदों हेतु पृथक से समिति बना कर विचार किया जाए। कार्यपरिषद् में रखा जाय।
- प्रस्ताव क्र. 03— शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) सीधी भर्ती/पदोन्नति/
समयमान नियम, 2021 संबंधी।
- निर्णय – गैर शैक्षणिक पदों हेतु यह सुझाव दिया गया कि अलग से नियम बना कर कार्यपरिषद् में रखा जाए। रिजनल डायरेक्टर, असिस्टेन्ट लायब्रेरियन, निज सचिव कुलपति, के लिये कमेटी बना दें। अनुशंसा कार्यपरिषद् में ली जाये। शिक्षकीय पदों पर सीधी भर्ती/पदोन्नती नियम 2021 को संशोधन के साथ संस्तुत किया गया।
- प्रस्ताव क्र.04— SWAYAM द्वारा संचालित MOOC कोर्स को विश्वविद्यालय के Credit Framework के अनुरूप समिलित करने विषयक।
- निर्णय – “वर्तमान शिक्षण सत्र में” की जगह पर “आगामी शिक्षण सत्रों” से किया जाए।



प्रस्ताव क्र. 05— बी.एस.सी. कम्प्यूटर साइंस के प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रमों की अनुशंसा तथा पाठ्यपुस्तक सामग्री का अनुमोदन पर विचार।

निर्णय — अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्र.06— सहायक प्राध्यापको के लघु-शोध प्रबंध (Minor Research Project) की मूल्यांकन रिपोर्ट सूचनार्थ।

निर्णय — सूचना ग्रहण किया गया।

प्रस्ताव क्र. 07— विश्वविद्यालय विषयों के अध्ययन मण्डलों की कार्यवाही—विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय — अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र.08— विश्वविद्यालय में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संचालन संबंधित।

निर्णय — ऐसे सभी पाठ्यक्रम जिनका AICTE द्वारा Approval लेना है उन पाठ्यक्रमों हेतु AICTE की अनुमति की प्रतीक्षा की जाए एवं ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें AICTE की अनुमति की आवश्यकता न हो उन्हें यथावत् संचालित किया जाए तथा UGC को पत्र लिखा जाए।

बैठक के अंत में विद्या परिषद् को सूचीत किया गया की दीक्षांत समारोह में प्रो. नागेश्वर राव (कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली) को मुख्य वक्ता के रूप में दी गई सहमति की सूचना ग्रहण की गई। दीक्षांत समारोह के लिए प्रयास जारी है।

डॉ. चरण दास महंत जी द्वारा स्वी. श्री बिसाहू दास महंत जी के नाम से सर्वोच्च ग्रेड प्राप्त दिव्यांग छात्र/छात्रा को स्वर्ण पदक के लिए रु. 1 लाख राशि प्रदान की गई है, जो विश्वविद्यालय को प्राप्त होने की सूचना ग्रहण की गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

28/6/2021
(बंश गोपाल सिंह)

(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति / अध्यक्ष

(इदु अनंत)
कुलसचिव / सचिव

पृ. क्र. 285/अका. / वि.प. / बैठक / 2021,

बिलासपुर, दिनांक 28/06/2021

प्रतिलिपि —

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सम्मानीय सदस्यगण —
- 2.1 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी-3, नया रायपुर (छ.ग.)
- 2.2 संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)

- 2.3 प्रो. आर.पी. दास, सम कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
- 2.4 प्रो. एल.पी.पटेरिया, माननीय कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
- 2.5 प्रो. मनीष श्रीवार्स्तव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- 2.6 प्रो. मीता झा, मनोविज्ञान विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- 2.7 क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU
- 2.8 डॉ. अनिता सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, PSSOU
- 2.8 श्री संजीव लावनिया, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, PSSOU
- 2.9 डॉ. एस.रूपेन्द्र राव, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, PSSOU
- 2.10 श्री रेशमलाल प्रधान, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर साइंस, PSSOU की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव कुलपति एवं निज सहायक कुलसचिव को माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।
4. प्रभारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन-प्रतिवेदन। शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
5. नस्ती हेतु।



कुलसचिव